आनन्द लाल बनर्जी,
आई0पी0एस0,

महत्वपूर्ण / समयबद्ध / फैक्स
अ0शा0 पत्र संख्याः डीटी-822-2014/ 324
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
दिनांकःलखनऊः अक्टूबर 20, 2014

प्रिय महोदय,

गत वर्षो की भाँति इस वर्ष भी माह नवम्बर-2014 को प्रदेश के जनपदो में **''यातायात माह''** के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- यातायात प्रबन्धन से समाज का प्रत्येक व्यक्ति सीधा जुड़ा हुआ है और इसका सम्बंध मनुष्य के जीवन की रक्षा के साथ-साथ पुलिस की कार्य पद्धति से भी है। अतः यातायात सम्बंधी नियमों के प्रति जन-सामान्य को जागरूक बनाने व उसके अनुपालन के लिये उनको प्रेरित करने का गुरूतर दायित्व भी हम सभी पर है।

3- यातायात प्रबंधन में प्रर्वतन के साथ-साथ प्रशिक्षण, अभियांत्रिकी तथा आपातकालीन सहायता का अत्यधिक महत्व है, जिससें समग्र रूप से सड़कों पर सुरक्षित यातायात व्यवस्था संचालित की जा सके।

4- माह नवम्बर को **''यातायात माह''** के रूप में मनाये जाने के लिये अपेक्षित कार्यवाही संलग्न परिशिष्ट-क में अंकित की गयी है। कृपया यातायात माह के दौरान प्रत्येक बिन्दु पर प्रभावी कार्यवाही करायें।

5- सभी जोनल पुलिस महानिरीक्षक एवं परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक प्रत्येक विन्दुओं पर कृत कार्यवाही की प्रभावी समीक्षा एवं अनुश्रवण करेगें।

6- यातायात निदेशालय द्वारा जनपदों, परिक्षेत्रों एवं जोनों में यातायात माह के दौरान की गई कार्यवाही की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जायेगा तथा पूरे माह की समाप्ति के उपरान्त की गई कार्यवाही की समीक्षा कर उत्कृष्ट अधिकारियों को यथोचित रूप से पुरष्कृत किया जायेगा। जिन अधिकारियों द्वारा इस अभियान में रूचि नहीं ली जायेगी उन्हें चिन्हित कर सचेत किया जायेगा।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

20/X/14

(आनन्द लाल बनर्जी)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (नाम से),
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक उ0प्र0 एंव परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकःयथोपरि।

1- प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक, यातायात, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2- प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

'परिशिष्ट-क'

माह नवम्बर-2014 को यातायात माह के रूप मे मनाये जाने के लिये दिशा-निर्देश।

अ- प्रर्वतन

1- सड़कों पर यातायात के नियमन के लिए पुलिस अधिनियम की धारा-31 के अर्न्तगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश निर्गत किये जाते है। इस सम्बंध में जनपद में जारी आदेशों की समीक्षा कर ली जाये तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि नये राजमार्गो अथवा मार्गो के निर्माण को दृष्टिगत रखते हुये इन आदेशों को अद्यावधिक कर लिया गया है।

2- सुनिश्चित करें कि सभी पुलिस कर्मियों व यातायात कर्मियों द्वारा यातायात नियमों का पूर्णतः पालन किया जाये।

3- यातायात कर्मियों के कार्य व्यवहार, टर्न आउट व आचरण में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाये।

4- यातायात कर्मियो द्वारा दिये जा रहें संकतो में सुधार के लिये प्रशिक्षण आयोजित किये जायें तथा उनमें अपेक्षित सुधार लाया जाये।

5- यह सुनिश्चित किया जाय कि जनपद में जितने भी यातायात संकेत स्थापित है वे सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। यदि मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता हो तो आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र पूरी कर ली जाये।

6- यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक संकेतो के **'साइकिल टाइम'** उस सम्बन्धित सड़कों पर विभिन्न समय में यातायात के दबाव के अनुरूप हों।

7- सभी यातायात पुलिस कर्मियों को यातायात संकेतों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाय।

8- तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालें वाहन चालको के विरूद्ध प्रभावी अभियान चलाया जाये।

9- शराब पीकर व अन्य नशा करके वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये। शराब की दुकानों, मॉडल शाप को चिन्हित कर उनकें आस-पास के क्षेत्रों में उचित समय पर प्रभावी चेकिंग की जाय।

10- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने वालो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये।

11- चार पहिया वाहनो में आगे की सीट पर सीट बेल्ट न लगाने वालो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करें।

12- काली फिल्म लगे वाहनों की चेकिंग कर प्रभावी कार्यवाही करें।

13- अवैध लाल-नीली बत्ती, हूटर व सायरन के विरूद्ध अभियान चलायें।

14- स्कूली वाहनो में ओवर लोडिंग व ओवर स्पीडिंग पर रोक लगायी जाये।

15- दोपहिया वाहनो पर स्टंट करने वालो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करें।

16- दोपहिया वाहनों पर तीन सवारी बैठानें वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करें।

17- दोपहिया वाहन का प्रयोग करते समय हेल्मेट न पहनने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करें।

प्रदेश के जनपदों को यातायात निदेशालय द्वारा अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित इण्टरसेप्टर वाहन, स्पीडराडार, ब्रेथ एनालाइजर, गैस एनालाइजर, स्मोक मीटर आदि यातायात उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं, जिनका यातायात प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यो में अपेक्षाकृत कम उपयोग किया जा रहा है। इन उपकरणों का अधिक से अधिक उपयोग कराते हुये प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यो में गुणात्मक सुधार लायें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक इनका स्वयं परिक्षण कर प्रर्वतन सम्बंधी कार्यो मे प्रभावी उपयोग करायें।

..2

ब- यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार एवं शिक्षा

1- स्कूल/कालेज के प्रधानाचार्यो से सम्पर्क कर 18 वर्ष से कम आयु वाले छात्र-छात्राओं को वाहन चलाने पर पूर्णतया रोक लगाना सुनिश्चित किया जाये।

2- यातायात संकेतों एवं नियमों के सम्बंध में स्कूली बच्चों, एन0सी0सी0, स्काउट एवं गाइड के बच्चों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाय।

3- दूरदर्शन, स्थानीय समाचार पत्रों व पोस्टर पम्फलेट आदि के माध्यम से जन समान्य को यातायात नियमों व संकेतों के पालन करने तथा सड़क पर अनुशासित रूप से चलने हेतु प्रेरित किया जाये।

4- स्कूलों/कालेजो में जनपद स्तर पर यातायात विषय पर निबन्ध, चित्रकला प्रतियोगिता, क्विज एवं अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित करायें। ऐसे कार्यक्रमों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक स्वयं पुरस्कार वितरण करें।

5- शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी जागरूक करानें हेतु उचित कार्यक्रम चलाए जांए।

6- स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से वाहन चालकों के स्वास्थ्य व नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित कराये जांय।

7- स्कूली वाहनों में ओवर लोडिंग रोकी जाय।

8- स्कूली वाहनों को स्कूल प्रांगण में ले जाकर बच्चों को उतारने व चढ़ाने की व्यवस्था हेतु स्कूल प्रबन्धन की जिम्मेदारी निर्धारित की जाय। स्कूलों के खुलने व बंद होने के समय स्कूली वाहनों से सड़कों पर जाम न हो, इस हेतु स्कूल प्रबन्धन के साथ मिलकर कार्ययोजना बनायें तथा उसे कियान्वित करें।

9- हाइवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं व उसमें होने वाली मृत्यु की रोकथाम हेतु स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही करायें। हाईवे के दोनो ओर रहने वाले स्थानीय लोगो में यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा के बिन्दुओं के सम्बंध में जागरूकता पैदा की जाय। **विशेष रूप से हाईवे के दोनों ओर स्थित ग्रामों के निवासियों को यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा के बिन्दुओं के सम्बंध में जानकारी अवश्य प्रदान की जाय तथा इसके अनुपालन हेतु उन्हें प्रेरित किया जाय ताकि हाईवेज पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।** हाईवें पर निर्माण सामग्री रखने में सावधानी बरतने व निर्माण कार्य समाप्त हो जाने के बाद उसे तत्काल हटाने हेतु सर्व सम्बंधित को जागरूक बनाया जाये तथा नेशनल हाईवे (लैण्ड एण्ड ट्रैफिक एक्ट-2002) के सम्बंध में जन-सामान्य को भी जानकारी प्रदान की जाये।

10- ट्रक/टैम्पों/टैक्सी (कामर्शियल वाहन के) चालकों तथा उनके मालिकों को यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा के उपायों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जाये। इन कार्यक्रमों में उन्हें सड़क दुर्घटनाओं के आकड़े बताकर उनसे सावधानी बरतने का अनुरोध किया जाये क्योंकि **80 प्रतिशत सड़क दुर्घटनायें चालकों की असावधानी के कारण ही होती हैं।** चालकों हेतु ऑख व स्वास्थ्य की चेकिंग सम्बंधी शिविर भी लगवाये जा सकते हैं। उन्हें प्रेरित करें कि वे वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें तथा सिगरेट न पियें जिससे उनका ध्यान बंटने की सम्भावना हो। भारी वाहन चलाने से पूर्व **'क्या करें, क्या न करे'** के सम्बंध में भी उन्हें बतायें ताकि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हो सके। लम्बी दूरी के राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों में दो चालक रखनें हेतु भी वाहन मालिकों को प्रेरित करें। चालकों हेतु सुरक्षित वाहन चालन सम्बंधी प्रतियोगितायें भी आयोजित करायी जा सकती है।

11- जनपद के ट्रैक्टर मालिकों/चालकों को भी प्रशिक्षित किये जाने को प्रयास किया जाना चाहिये क्योंकि **प्रायः ट्रैक्टर चालकों से जो अक्सर ट्राली पर सवारी ले जाते हैं, भयंकर सड़क दुर्घटनायें होती है। इनमें होने वाली मृत्यु की संख्या भी अधिक होती हैं।** रेलवे क्रासिंग पर ट्रैक्टर पार करने एवं मोड़ कर ट्रैक्टर चलाने आदि के सम्बंध में उन्हें सचेत करने की आवश्यकता है। इस कार्य के लिये **थानेवार कार्यक्रम चलायें।** ट्रैक्टर ट्राली पर गन्ना मिल, स्थानीय गन्ना समिति के माध्यम से, स्वयंसेवी संस्थाओं अथवा किसी संस्थान/कम्पनी से प्रायोजित कराकर **निःशुल्क 'रिफ्लेक्टर्स'** लगवाने का प्रयास किया जा सकता हैं।

12- दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु साइकिल रिक्शे आदि पर भी **'रिफ्लेक्टर' तथा 'फ्लोरोसेंट स्ट्रीप/रिबन'** लगाने हेतु प्ररित किया जायें।

13- नगर महापालिका/नगर पालिका/टाउन एरिया के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर स्टैण्ड व पार्किंग स्थल की व्यवस्था कराने के प्रयास किये जायं।

14- शहरो/कस्बों गॉवों आदि में पटरी दुकानदारों द्वारा मुख्य मार्ग पर स्थायी अवरोध खड़ा कर दिया जाता हैं। इस प्रकार के समस्त अवरोधों को स्थानीय पुलिस, नगर महापालिका व टाउन एरिया के स्टाफ की सहायता से हटवाया जाय तथा इस सम्बंध में जनमानस को भी जागरूक किया जाये।

15. समस्त वाहन चालकों/मालिकों को **चकाचौध करने वाली लाइट के खतरे के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाकर हेड लाइट्स की हाई तथा लो बीम के सही उपयोग हेतु प्रेरित करें** ताकि इस कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम की जा सकें।

16. प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागरूकता पैदा करने हेतु उक्त के अतिरिक्त यदि स्थानीय स्तर पर यातायात व्यवस्था के सुधार हेतु कोई उचित बिन्दु आवश्यक समझते हो तो उन्हें भी सम्मिलित कर लिया जाये।

स- अभियांत्रिकी

1- अपने जनपद के समस्त दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर लें।

2- दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों पर आवश्यक अभियांत्रिकी सुधार हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से सम्बंधित विभाग से सीधे अभियांत्रिकी सुधार कराये।

3- जब तक अभियांत्रिकी सुधार नही होता, तब तक अतिरिक्त ड्यूटी लगाकर प्रत्येक चिन्हित स्थान पर सम्भावित समय के अनुसार अतिरिक्त पिकेट लगाकर दुर्घटना रोकने का प्रयास करें।

द- आकस्मिक सहायता

सड़क दुर्घटना में घायल/पीड़ित व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु 'गोल्डल आवर' में समुचित प्रयास किये जाये।